संख्या-5/534 /58-2014-151/2012-ए-1

प्रेषक,

जूथिका पाटणकर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ दिनांक 04 मार्च, 2014**

विषय- प्रदेश में आलू विकास एवं उत्पादन तथा विपणन प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का प्रख्यापन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में आलू की खेती के विकास, उत्पादन तथा विपणन को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की गयी उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का प्रख्यापन करने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :-

1. आलू की खेती के लिए गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन कराना।
2. आलू के गुणवत्तायुक्त उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
3. आलू की खेती की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना।
4. प्रदेश में बीज एवं खाने के आलू का समुचित भण्डारण सुनिश्चित कराना।
5. बाजार विकास एवं प्रदेश से बाहर आलू के विपणन/निर्यात को प्रोत्साहित करना।
6. आलू आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
7. उत्पादन की वैज्ञानिक विधियों को कृषकों तक पहुंचाने के लिए तकनीकी हस्तान्तरण एवं दक्षता विकास।

2- उक्त नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यो हेतु अनुदान/रियायते दिये जाने का प्राविधान/व्यवस्था है :-

(1) देश के अन्य प्रान्तों में आलू के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु एक दिवसीय आलू प्रदर्शनी एवं बायर-सेलर मीट के आयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा हॉफेड को प्रति कार्यक्रम रू0 3 लाख उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) आलू की ग्रेडिंग, पैकिंग हेतु फंक्शलन इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा के सृजन हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रू0 6 लाख अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) देश के बाहर ताज ब्राण्ड से आलू निर्यात किये जाने पर सभी निर्यातकों को परिवहन भाड़ा सहायता के रूप में रू0 200 प्रति कुन्टल अनुदान मण्डी परिषद के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) आलू के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु निर्यातकों को ताज ब्राण्ड से निर्यात की गयी मात्रा पर ब्राण्ड प्रोत्साहन हेतु रू0 50 प्रति कुन्टल की दर से मण्डी परिषद के माध्यम से अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) क्वालिटी कन्ट्रोल एनालिसिस लैब की स्थापना हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रू0 200 लाख तथा निजी क्षेत्र में 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 100 लाख अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 में निहित प्राविधानों के अनुसार अन्य अनुमन्य अनुदान/रियायतें नियमानुसार दी जायेंगी ।

3- प्राख्यापित की जा रही उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का संचालन उपरोक्त उद्देश्यों आदि को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधीन निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0 लखनऊ द्वारा किया जायेगा एवं जहाँ आवश्यक होगा वहाँ शासन/भारत सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

4- उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 में निहित प्राविधानों के अनुसार इसका संचालन नियमानुसार किया जायेगा। निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान तथा सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारी उक्त नीति के नियमानुसार संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक-उ0प्र0 आलू विकास नीति-2014

भवदीया,

(जूथिका पाटणकर)
प्रमुख सचिव।

संख्या-5/534(1)/58-2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्यौगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

10. प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 शासन।
15. प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।
16. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
17. प्रमुख सचिव, उर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
18. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
19. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0।
20. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
21. निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
22. प्रबन्ध निदेशक, हाफेड, लखनऊ।
23. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि इस शासनादेश एवं नीति की 1500 प्रतियां मुद्रित कराकर उद्यान अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
24. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
25. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
26. नियोजन अनुभाग-1
27. गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(अमरनाथ उपाध्याय)
उप सचिव।

संख्या-5/534(1)/58-2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस आलू विकास नीति-2014 का समस्त समाचार पत्रों में एवं अन्य माध्यमों से समुचित प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अमरनाथ उपाध्याय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

उ0प्र0 आलू विकास नीति

2014

http://shasanadesh.up.nic.in

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उत्तर प्रदेश।

अनुक्रमणिका

विषय		पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		2-3
अध्याय-1	दृष्टिकोण, उद्देश्य एवं रणनीति	4-5
अध्याय-2	प्राथमिकता के क्षेत्र	6-7
अध्याय-3	गुणवत्तायुक्त बीज आलू उत्पादन	8-12
अध्याय-4	गुणवत्तायुक्त भोज्य आलू उत्पादन को प्रोत्साहन	13-14
अध्याय-5	आलू का भण्	15-16
अध्याय-6	बाजार विकास एवं विपणन/निर्यात प्रोत्साहन	17-19
अध्याय-7	प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन	20-21
अध्याय-8	तकनीकी हस्तान्तरण एवं दक्षता विकास	22-22
अध्याय-9	नीति का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण	24-25

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रस्तावना

भारत विश्व का प्रमुख आलू उत्पादक देश है। देश में लगभग 18 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 414 मी0 टन आलू का उत्पादन होता है। देश में कुल उत्पादन का लगभग 34 प्रतिशत आलू उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। खाद्यान्न की समस्या को हल करने में आलू का प्रमुख योगदान है। विगत वर्षों में आलू के क्षेत्रफल तथा उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 1955-56 में प्रदेश में 0.96 लाख हेक्टर क्षेत्रफल में 6.17 मी0टन आलू का उत्पादन होता था, जिसका स्तर 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में वर्ष 2011-12 में बढकर 5.58 लाख हेक्टेयर में 123.16 लाख मी0 टन हो गया है। वर्ष 1955-56 में आलू की उत्पादकता 6.43 मी0 टन प्रति हेक्टेयर थी, जो बढकर 23.33 मी0 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश में आलू के आच्छादन के स्तर को 6.75 लाख हेक्टेयर (20.97 प्रतिशत) उत्पादन को 180 लाख मी0टन (46.15 प्रतिशत) तथा उत्पादकता को 26.67 मी0 टन प्रति हेक्टेयर (14.32 प्रतिशत) प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

प्रदेश में आलू उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ आलू भण्डारण हेतु निजी शीतगृहों की संख्या एवं मात्रा में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 1997 में प्रदेश में 738 शीतगृहों की भण्डारण क्षमता 40.24 लाख मी0 टन थी, जो वर्ष 2012-13 में बढकर 1555 एवं भण्डारण क्षकता 113.78 लाख मी0टन हो गई है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश में शीतगृहों की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर 1705 तथा भण्डारण क्षमता को 11.6 प्रतिशत की वृद्धि कर 127 लाख मी0 टन भण्डारण क्षमता का स्तर प्राप्त किया जायेगा।

प्रदेश के मेरठ, अलीगढ, आगरा, कानपुर, मुरादाबाद एवं बरेली मण्डलों में प्रदेश के कुल आलू उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत आलू उत्पादित होता है। इन मण्डलों के जनपदों-आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, कन्नौज, फर्रूखाबाद, अलीगढ, बदायूं, इटावा, मथुरा, मैनपुरी तथा फैजाबाद मण्डल के बाराबंकी जनपद में प्रदेश के कुल उत्पादन का लगभग 64.00 प्रतिशत आलू उत्पादित होता है।

प्रदेश में खाने एवं बीज के रूप में आलू की खपत लगभग स्थिर है, जो 100-105 लाख मी0 टन होती है। इससे अधिक उत्पादित आलू प्रदेश के बाहर या तो खाद्य आलू के रूप में उपयोग हेतु विक्रय किया जाता है अथवा थोडी मात्रा में प्रसंस्करण के लिए उपयोग किया जाता है। प्रदेश के बाहर अन्य स्थानों यथा: दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत एवं पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आलू की सामान्य खपत प्राय: स्थिर रहती है। इस प्रकार गत वर्षों के उतपादन, उपभोग एवं बाजार भावों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक तीसरे या चौथे वर्ष आलू के उत्पादन में 7-8 प्रतिशत की वृद्धि होने पर आलू के बाजार भावों में गिरावट देखने को मिलती है। इसलिए यह आवश्यक है कि आलू के कुल उत्पादन के 8-10 प्रतिशत मात्रा को प्रसंस्करण अथवा निर्यात के माध्यम से प्रबन्धित कर लिया जाय तो आलू के भावों में होने वाले उतार-चढाव को नियन्त्रित करके कृषकों को होने वाली हानि से बचाया जा सकता है।

http://srisandesh.up.nic.in

देश एवं प्रदेश की बढती हुई जनसंख्या को देखते हुए आगामी वर्षों में आलू को कदाचित चावल एवं गेहूं की तरह मुख्य भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करने की आवश्यकता होगी। आलू की खेती के समग्र विकास हेतु बीज उत्पादन से लेकर विपणन एवं प्रसंस्करण तक की सभी गतिविधियों को सुनियोजित तरीके से एक नीति के रूप में तैयार कर उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा।

प्रदेश में आलू उत्पादन के लिए भूमि एवं जलवायु की उपयुक्तता के साथ-साथ अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियाँ भी उपलब्ध हैं। वर्तमान में उत्पादित किये जाने वाले आलू की अधिकांश प्रजातियाँ खाने के रूप में प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है। प्रसंस्करण हेतु प्रजातियाँ कु0 चिप्सोना-1 व 3, कु0 सूर्या तथा कु0 फ्राईसोना का उत्पादन मात्र 3-4 प्रतिशत ही है, जिसे बढाने जाने की आवश्यकता है। प्रदेश में आलू आधारित उद्योगों की कमी के कारण प्रसंस्करण मात्र 2-3 प्रतिशत ही हो पाता है। निर्यात हेतु प्रदेश के आलू की माँग श्रीलंका बांगलादेश, नेपाल आदि पडोसी देशों में है। प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा यह आशंका व्यक्त की जाती है कि प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों की कमी के कारण नये प्रसंस्करण उद्योगों की सफलता संदिग्ध होगी, जबकि आलू उत्पादकों द्वारा प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों का बडे पैमाने पर उत्पादन करने के उपरान्त प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा क्रय न किये जाने पर हानि होने का जोखिम सदैव बना रहता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाये जाने की आवश्यकता है, जिसमें उत्पादकों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं के बीज आपसी सहमति के माध्यम से यह पूर्व में ही सुनिश्चित कर लिया जाय कि उत्पादकों द्वारा प्रसंस्करण उद्योगों के लिए आवश्यक विशिष्टताओं वाली प्रजातियों का उत्पादन वांछित मात्रा में किया जाएगा तथा प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा आलू उत्पादकों की लागत एवं लाभ को दृष्टिगत रखते हुए आलू के उचित मूल्य का भुगतान किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

अध्याय-1

दृष्टिकोण, उद्देश्य एवं रणनीति

उ0प्र0 आलू विकास नीति के अन्गर्तत प्रदेश में आलू के उत्पादन में लगे कृषकों, प्रसंस्करणकर्ताओं एवं उपभोक्ताओं तथा अन्य सभी स्टेक होल्डर्स को प्रदेश की इस मुख्य नकदी फसल के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि एवं लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए अवस्थापना सुविधाओं का विकास पूंजी निवेश एवं तकनीकी उन्नयन का प्रोत्साहन, मानव संसाधन विकास, बाजार विकास, अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण आदि कार्यक्रम सन्निहित है।

1.1 दृष्टिकोण (विजन):

उत्तर प्रदेश को आलू फसल के उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण तक सभी विधाओ में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कराते हुए प्रदेश का संतुलित आर्थिक विकास कराना तथा किसानों को अधिकाधिक लाभ दिलाना, साथ ही घेरलू विपणन एवं अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात को प्रोत्साहित कर राज्य एवं राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन को और अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिलाना।

1.2 उद्देश्य:

आलू किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए आलू की खेती के समग्र विकास हेतु नीति निर्धारण करते हुए बीज उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण एवं निर्यात तक के समस्त कार्यकलापों को नियोजित ढंग से सम्पादित किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उ0प्र0 आलू विकास नीति-2014 के अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति किया जाना प्रस्तावित है:

- आलू की खेती के लिए गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन कराना।
- आलू के गुणवत्तायुक्त उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
- आलू की खेती की आधुनिक तकनीकों को बढावा देना।
- प्रदेश में बीज एवं खाने के आलू का समुचित भण्डारण सुनिश्चित कराना।
- प्रदेश से बाहर आलू के विपणन/निर्यात हेतु बाजार विकास को प्रोत्साहित करना।
- आलू आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
- उत्पादन की वैज्ञानिक विधियों को कृषकों तक पहुंचाने के लिए तकनीकी हस्तान्तरण एवं दक्षता विकास।

1.3 रणनीति:

- प्रदेश की प्रमाणित आलू बीज की मॉग को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार से प्राप्त होने वाले ब्रीडर बीज से आधारित प्रथम, आधारित द्वितीय, प्रमाणित प्रथम एवं प्रमाणित द्वितीय श्रेणी तक उच्च गुणवत्ता के आलू बीज का राजकीय एवं निजी प्रक्षेत्रों पर उत्पादन सुनिश्चित कराना।

http://shasandesh.up.nic.in

- प्रमाणित बीजों की उपलब्धता, वैज्ञानिक विधि द्वारा खेती, उर्वरकों/जैव उर्वरकों की उपलब्धता तथा सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।

- आलू की खेती में मशीनीकरण एवं सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के उपयोग को बढावा दिया जाना।
- आलू उत्पादकों को फसल खुदाई उपरान्त प्रबन्धन की नीवनतम तकनीक अपनाने हेतु भण्डारण एवं सीधे विपणन करने से पूर्व ग्रेडिंग, पैकिंग एवं टैगिंग हेतु तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- प्रदेश में आगामी वर्षों में आलू के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय आवश्यकता के आधार पर नवीनतम तकनीक के बहुउद्देशीय एवं बहुकक्षीय शीतगृहों की स्थापना को प्रोत्साहित किया
- प्रदेश में स्थापित निजी शीतगृहों के सुनियोजित संचालन हेतु उ0प्र0 शीतगृह (विनियमन) अधिनियम, 1976 एवं सुसंगत नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराना। वेयरहाउसिंग डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेटरी एक्ट-2007 के अनुसार प्रदेश में स्थापित शीतगृहों को प्रत्यायन (एक्रीडिटेशन) हेतु प्रोत्साहित करना और वेयर हाउसिंग रिसीट सिस्टम लागू कराया जाना।
- प्रदेश एवं देश के बाहर आलू विपणन/निर्यात हेतु ढांचागत सुविधाओं के विकास, कृषकों/निर्यातकों को प्रशिक्षण, परिवहन भाडे पर अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित किया जाना।
- आलू के संहत उत्पादक क्षेत्रों में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 तथा उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के अन्तर्गत आलू आधारित प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
- उत्पादन की वैज्ञानिक विधियों को कृषकों तक पहुंचाने के लिए एकीकृत एवं सामयिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराना।
- आलू उत्पादन की नवीन तकनीकों के प्रदर्शन के माध्यम से हस्तान्तरण हेतु आलू उत्पादन बाहुल्य क्षेत्र में सेन्टर ऑफ एक्सिलेन्स फॉर पौटैटो की स्थापना कराना।

http://shesanadesh.up.nic.in

अध्याय-2

प्राथमिकता के क्षेत्र

2.1 बीज उत्पादन:

प्रदेश में आलू के उत्पादन को बढावा देने के उद्देश्य से पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त बीज का उत्पादन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रदेश में राजकीय प्रक्षेत्रों पर ब्रीडर बीज से आधारित श्रेणी के बीजों का उत्पादन किया जाता है। आगे की श्रेणियों आधारित-द्वितीय, प्रमाणित- प्रथम तथा प्रमाणित द्वितीय बीजों का उत्पादन निजी प्रक्षेत्रों पर कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी। प्रदेश में आलू आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु आलू उत्पादक बाहुल्य क्षेत्रों में आलू की प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों के बीज उत्पादन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जायेगा।

2.2 भोज्य आलू उत्पादन:

प्रदेश में वर्तमान में लगभग 5.50 लाख हे0 क्षेत्रफल में लगभग 135 मी0टन आलू का उत्पादन होता है। प्रदेश की उत्पादकता लगभग 24 मी0 टन प्रति हे0 है, जो देश की औसत उत्पादकता 19.93 मी0 टन प्रति हे0 से अधिक है, किन्तु अभी भी प्रदेश में आलू की उत्पादकता को बढाने जाने की पर्याप्त सम्भावानाएं विद्यमान है। प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत नवीन तकनीकी एवं वैज्ञानिक विधियों का समावेश करते हुए आलू की उत्पादकता बढाये जाने के साथ-साथ गुणवत्तायुक्त उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

2.3 खेती की आधुनिक तकनीकों को बढावा देना:

आलू की खेती में श्रम लागत को कम करने तथा आटोमेंशन को बढावा देने तथा प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल से गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु मशीनीकरण तथा सिंचाई की स्प्रिंकलर ड्रिप पद्धति को प्रोत्साहित किया जायेगा।

2.4 आलू का भण्डारण:

वर्तमान में प्रदेश में 1555 शीतगृह संचालित है जिसमें 113.78 मी0टन की भण्डारण क्षमता उपलब्ध है। प्रदेश में भण्डारण की कोई समस्या नहीं है, किन्तु बढती हुई उत्पादकता तथा आलू के विभिन्न प्रकार के उपयोगों को दृष्टिगत रखते हुए शीतगृहों को सुचारू रूप से संचालित कराते हुए बीज आलू, भोज्य आलू एवं प्रसंस्करण हेतु आलू के भण्डारण की वैज्ञानिक व्यवस्था कराया जाना इस नीति के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2.5 विपणन:

प्रदेश में उत्पादित आलू का लगभग 75 प्रतिशत प्रदेश के अन्दर ही बीज, भोज्य एवं प्रसंस्कृत पदार्थों के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। शेष 25 प्रतिशत भाग प्रदेश के बाहर देश के अन्य भागों में अथवा देश के बाहर अन्य देशों में विपणन हेतु जाने की आवश्यकता होती है। इस नीति के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर विपणन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करके प्रदेश के आलू उत्पादकों को अधिकतम लाभ दिलाये जाने का प्रयास किया जायेगा।

2.6 बाजार विकास:

प्रदेश के सरप्लस आलू को समुचित ढंग से विपणन किये जाने हेतु विभिन्न स्तरों पर बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रमोशन की व्यवस्था करायी जायेगी।

2.7 प्रसंस्करण:

प्रदेश में उत्पादित आलू का लगभग 3 प्रतिशत भाग प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है। प्रसंस्कृत पदार्थों (पाउडर/फ्लेक्स, चिप्स, भुजियाँ, फ्रेंच फ्राइज, स्टार्च आदि) के बढते हुए उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक वित्तीय अनुदान एवं रियायतें तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर प्रदेश में आलू प्रसंस्करण को प्रोत्साहित किया जायेगा।

2.8 तकनीकी हस्तान्तरण एवं दक्षता विकास:

आलू के बीज उत्पादन से लेकर भण्डारण एवं विपणन तक सभी स्तरो पर वैज्ञानिक विधियों एवं नवीन तकनीको को उत्पादको तक सुगमता पूर्वक पहुंचाने के लिए विकास खण्ड, जनपद एवं प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा गोष्टियों के कार्यक्रम कराये जायेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

अध्याय-3

गुणवत्तायुक्त बीज आलू उत्पादन

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला (सी0पी0आर0आई0) हिमांचल प्रदेश के विभिन्न केन्द्रों से उद्यान विभाग, उ0प्र0 को सामान्यत: लगभग 6000 कुन्टल ही ब्रीडर बीज उपलब्ध हो पाता है। प्रदेश में लगभग 5.50 लाख हेक्टयर क्षेत्र को आच्छादित करने के लिये 30-35 कुन्टल प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 17 लाख मी0 टन गुणवत्तायुक्त बीज की आवश्यकता होती है। वर्तमान में सी.पी.आर.आई. से प्राप्त ब्रीडर बीज को विभाग के राजकीय प्रक्षेत्रों पर बीज संबर्द्धन कराकर लगभग 3000 मी0 टन आधारित प्रथम एवं आधारित द्वितीय श्रेणी का बीज उत्पादित कर किसानों को अग्रेतर श्रेणियों में बीज उत्पादन हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रगतिशील कृषकों के खेतों पर आलू बीज के संवर्द्धन का कार्यक्रम कराया जाता है, जिसके माध्यम से विभिन्न श्रेणियों का लगभग 11000 मी0 टन प्रमाणित बीज उत्पादित होता है। इस उपलब्ध बीज को असंगठित क्षेत्र में कृषकों के द्वारा स्वयं अथवा अन्य कृषकों को बीज के रूप में प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिसका विधिवत् अभिलेखीकरण की वर्तमान में व्यवस्था का अभाव है।

वर्तमान में आलू की बीज प्रतिस्थापन दर लगभग 1 प्रतिशत है। आधारित प्रथम, आधारित द्वितीय एवं प्रमाणित श्रेणी तक प्रगतिशील कृषकों की सहभागिता से बीज उत्पादन कार्यक्रम को सुनियोजित ढंग से संचालित कराकर 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में बीज प्रतिथापना की दर को 10 प्रतिशत प्राप्त करते हुए लगभग 2 लाख मी0 टन बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।

आलू आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के प्रोत्साहन की नीति को दृष्टिगत रखते हुए आलू की प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों के बीज उत्पादन को बढावा दिये जाने की आवश्यकता है। सी.पी.आर.आई. से प्राप्त ब्रीडर बीज में से प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों-कुफरी चिप्सोना-1, 3, 4 कुफरी सूर्या का 150 मी0 टन ब्रीडर बीज उपलब्ध होता है, जिसे राजकीय प्रक्षेत्रों पर सम्बर्द्धित कर 600 मी0 टन आधारित प्रथम बीज उत्पादन किया जाता है। इस बीज को प्रगतिशील कृषकों को उपलब्ध कराकर आधारित द्वितीय, प्रमाणित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से सम्बर्द्धित कराकर प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों के उत्पादन को प्रोत्साहित कर 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 1.60 लाख मी0 टन प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों का बीज तथा इससे लगभग 6.50 लाख मी0 टन आलू प्रसंस्करण इकाईयों हेतु उपलब्ध होगा।

3.1 राजकीय प्रक्षेत्रों पर उत्पादन:

3.1.1 सी0पी0आर0आई0 से प्रदेश में आलू के वृहद क्षेत्रफल एवं उत्पादन को देखते हुए और अधिक लगभग 10000 कुन्टल ब्रीडर बीज की मॉंग एवं आपूर्ति हेतु प्रयास किया जायेगा, ताकि इस ब्रीडर बीज से आगामी श्रेणियों के आधारित प्रथम एवं आधारित द्वितीय एवं प्रमाणित बीजों के उत्पादन की श्रृंखला को अनुरक्षित करते हुए प्रदेश की गुणवत्तायुक्त आलू बीज मॉंग को पूरा किया जा सके।

http://shsanadesh.up.nic.in

3.1.2 सी0पी0आर0आई0 से प्राप्त ब्रीडर बीज से लगभग 235 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बीज संवर्द्धन का कार्यक्रम 200 हेक्टेयर में चिन्हित राजकीय प्रक्षेत्रों पर तथा 35 हेक्टेयर क्षेत्रफल में राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों तथा स्टेट फॉर्म कार्पोरेशन के प्रक्षेत्रों पर संचालित कराये जायेंगे।

3.1.3 आलू खुदाई के उपरान्त उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था के तकनीकी मार्गदर्शन में ग्रेडिंग, पैकिंग तथा टैगिंग कराकर बीज को राजकीय शीतगृहों में भण्डारित कराया जायेगा, जिसे अग्रेतर चयनित कृषक समूहों एवं प्रगतिशील कृषकों को बीज उत्पादन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

3.2 निजी क्षेत्रों में बीज उत्पादन:

3.2.1 निजी क्षेत्र की आलू बीज उत्पादक संस्थाओं को आलू बीज उत्पादन के लिए प्रात्साहित किया जायेगा।

3.2.2 आलू बीज उत्पादक कृषक समूहों एवं प्रगतिशील कृषकों को उपलब्ध कराये गए आलू के आधारित प्रथम बीज के बाद अग्रिम श्रेणियों- आधारित द्वितीय, प्रमाणित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के बीजों के सम्बर्द्धन हेतु बीज उत्पादन कार्यक्रम का राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

3.2.3 भारत सरकार की संस्था एन.एच.आर.डी.एफ. के माध्यम से भी आलू बीज उत्पादन तथा उत्पादित बीज के क्रय-विक्रय की व्यवस्था की जायेगी। उत्पादित प्रमाणित बीजों को उसी जनपद अथवा प्रदेश के अन्य जनपदों की आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप उक्त चिन्हित संस्था द्वारा आलू बीज उत्पादन समूहों/समितियों एवं प्रगतिशील कृषकों को सुलभ कराने की व्यवस्था की जायेगी।

आलू बाहुल्य उत्पादक क्षेत्रों में आलू की प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित किये जाने हेतु आलू की प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों के बीज उत्पादन को प्राथमिकता दी जायेगी।

3.2.4 आलू बीज उत्पादन में श्रम लागत को कम करने तथा आटोमेशन को बढावा देने तथा प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल से गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु मशीनीकरण तथा सिंचाई की स्प्रिंकलर ड्रिप पद्धति को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.3 बीज वितरण:

3.3.1 कृषक समूहों का गठन क्लस्टर में किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कम से कम पांच हेक्टेयर क्षेत्रफल आलू बीज उत्पादन के

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत रहे, जिससे बीज प्रमाणीकरण संस्था के नियमों के अनुसार निरीक्षण शुल्क न्यूनतम रहे एवं इसका लाभ लाभार्थियों को मिल सके। एक ही तरह की अभिरूचि वाले किसानों को चयनित करके फसल की तकनीकी देख-रेख अच्छी तरह से हो पायेगी तथा किसानों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी हस्तांरण में भी सुविधा रहेगी। कृषक समूहों के गठन के लिए इस क्षेत्र में कार्यरत केन्द्र एवं राज्य की संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

3.3.2 आलू बीज उत्पादन हेतु इच्छुक कृषकों से आवेदन आमंत्रित किया जायेगा तथा क्षमता एवं सिंचाई सुविधा आदि के आधार पर चयनित कृषकों का आलू बीज उत्पादन हेतु पंजीयन कराया जायेगा।

3.3.3 समूह के कृषकों को आलू बीज रोटेशन के आधार पर दिया जायेगा, जिससे अन्य कृषकों को भी आगामी वर्षों में गुणवत्तापूर्ण आधारित आलू बीज प्राप्त हो सके।

3.3.4 समूह के एक लाभार्थी कृषक को आलू बीज कम से कम 1/2 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सीमा तक 35 कुन्टल प्रति हेक्टेयर की दर से उपलब्ध कराया जायेगा।

3.3.5 बीज उत्पादन हेतु चयनित कृषकों में से अन्तिम चयन प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर आधारित प्रथम से प्रमाणित श्रेणी तक किया जायेगा।

3.3.6 चयनित कृषकों को विशेषज्ञों द्वारा आलू बीज उत्पादन की तकनीकी तथा प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों द्वारा प्रमाणीकरण की विधाओं से प्रशिक्षित कराया जायेगा।

3.3.7 आलू बीजोत्पादन कार्यक्रम सम्बन्धित संस्थाओं की देख-रेख में कराया जायेगा तथा उत्पादित बीज के क्रय हेतु पूर्व से ही संस्थाओं के द्वारा कृषकों के साथ टाइ-अप किया जायेगा। यदि किसानों के द्वारा उत्पादित बीज की पूरी मात्रा निर्धारित दर पर चिन्हित संस्था को विक्रय नहीं की जाती है, तो भी किसान के पास उत्पादित बीज का पूर्ण विवरण जनपदीय उद्यान कार्यालय में अभिलेखीकृत किया जायेगा तथा उस बीज को आगे की श्रेणियों में बुआई करने हेतु जिन कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा उन कृषकों क भी विवरण बीज विक्रेता कृषकों से अनुरोध करके प्राप्त किया जायेगा तथा उसे विभाग में जनपद स्तर पर अनुरक्षित किया जायेगा।

3.3.8 आलू संस्थाओं द्वारा बीज क्रय एवं विक्रय की दरें तय करने हेतु कृषि उतपादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी जिसमें सम्बन्धित विभागों (कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग/मण्डी परिषद, उ0प्र0 बीज प्रमाणीकरण संस्था), सम्बन्धित संस्थाओं तथा बीज उत्पादक कृषक प्रतिनिधियों को

http://shasanadesh.up.nic.in

सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा। बीज क्रय-विक्रय की दरें निर्धारित करते समय उत्पादन लागत एवं प्रचलित बाजार भावों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

3.3.9 आलू आधारित द्वितीय श्रेणी के बीजों को पुन: बीजोत्पादन हेतु चयनित कृषकों को सम्बन्धित संस्थाओं के द्वारा निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराया जायेगा। कृषकों के चयन, बीजोत्पादन तथा प्रमाणीकरण आदि की प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी। प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों (कु0 चिप्सोना-1, 3, 4, कु0 सूर्या आदि) के बीज उत्पादन प्रक्रिया को प्रमाणित द्वितीय श्रेणी तक ले जाया जायेगा। अन्य प्रजातियों के लिए प्रथम चरण में आधारित द्वितीय श्रेणी के उपरान्त कृषकों के स्तर पर ही बीज उत्पादन एवं विक्रय को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.3.10 आलू प्रमाणित प्रथम श्रेणी के बीजों को पुन: बीजोत्पादन हेतु इच्छुक कृषकों को सम्बन्धित संस्थाओं के माध्यम से निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराया जायेगा। उत्पादित प्रमाणित द्वितीय श्रेणी के बीज को उत्पादक कृषक स्वयं अपनी सुविधानुसार प्रदेश में मॉंग के अनुरूप विक्रय करने हेतु स्वतन्त्र होंगे।

3.4 प्रमाणीकरण:

कृषक प्रक्षेत्रों पर बीज उत्पादन कार्यक्रम का उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था के माध्यम से प्रामणीकरण की व्यवस्था की जायेगी। बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया को और अधिक सुगम और सरलीकृत करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

3.5 प्रमाणित बीजों का भण्डारण:

कृषकों द्वारा उत्पादित आधारित/प्रमाणित आलू बीज को जिला स्तर पर जनपदीय उद्यान अधिकारियों द्वारा चिन्हित निजी शीतगृहों में ही सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा अनुबन्ध कर भण्डारित कराया जायेगा, जिससे इस बीज का सदुपयोग आगामी वर्षों में बीज के रूप में ही किया जा सके। भण्डारित आलू बीज का समय-समय पर निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। जनपद में उत्पादित प्रमाणित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के बीज को भी उक्त चिन्हित शीतगृहों में ही भण्डारित कराया जायेगा।

3.6 अनुदान एवं रियायतें:

3.6.1 राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू0 25000 प्रति हेक्टेयर जो कम हो, अनुदान दिया जायेगा, जिसमें बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा लिया जाने वाले प्रमाणीकरण शुल्क की धनराशि भी समावेशित है। सभी प्रजातियों के

http://srisanadesh.up.nic.in

आधारित द्वितीय स्तर तक के बीजोत्पादन पर अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की जायेगी।

3.6.2 प्रदेश में आलू आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु आलू उत्पादन बाहुल्य क्षेत्रों में आलू की प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों के बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कृषकों को राज्य सेक्टर से लागत का 20 प्रतिशत अधिकतम रू0 10,000 प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त अनुदान सुलभ कराया जायेगा। प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों के प्रमाणित द्वितीय स्तर तक के बीज उत्पादन पर अतिरिक्त अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की जायेगी।

3.6.3 आलू की खेती पॉवर मशीन (20 बी.एच.पी. से अधिक) के साथ रोटावेटर, पोटैटो हार्वेस्टर पोटैटो प्लान्टर एवं पोटैटो ग्रेडर आदि के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.50 लाख अनुदान सुलभ कराया जायेगा।

3.6.4 नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरीगेशन योजना के अन्तर्गत आलू की खेती में स्प्रिंकलर ड्रिप पद्धति की स्थापना के लिए लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषकों को इकाई का 90 प्रतिशत अधिकतम रू0 19711 प्रति हेक्टेयर तथा अन्य कोटि के कृषकों को इकाई का लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 16426 प्रति हेक्टेयर अनुदान सुलभ कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

अध्याय-4

गुणवत्तायुक्त भोज्य आलू उत्पादन को प्रोत्साहन

वर्तमान में प्रदेश में लगभग 72-75 लाख मी0 टन आलू खाने में उपयोग हो रहा है, लगभग 17 लाख मी0 टन बीज के रूप में, लगभग 3 लाख मी0 टन प्रसंस्करण के लिए प्रयोग किया जा रहा है। शेष लगभग 25-30 लाख मी0 टन आलू अन्य प्रदेशों में विपणन किया जा रहा है। बढती जनसंख्या के दृष्टिगत 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त में आलू की मांग को दृष्टिगत रखते हुए तद्समय लगभग 100 लाख मी0 टन आलू खाने के लिए, लगभग 25 लाख मी0 टन बीज उत्पादन के लिए, लगभग 10 लाख मी0 टन प्रसंस्करण के लिए तथा 45 लाख मी0 टन प्रदेश से बाहर विपणन हेतु आवश्यकता होना अनुमानित है।

उक्त की पूर्ति हेतु आलू के आच्छादन क्षेत्र को 5.55 लाख हेक्टेयर से बढाकर 6.75 लाख हेक्टेयर तथा उत्पादन को 135 लाख मी0 टन से बढाकर 180 लाख मी0 टन के स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है। प्रदेश में प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की राज्य सरकार की नीति के दृष्टिगत आलू की प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों की प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित कराने की आवश्यकता होगी। साथी ही आलू की उत्पादन तकनीक में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग को प्रोत्साहित कर गुणवत्तायुक्त आलू उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार के लिए प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

4.1 वैज्ञानिक विधि से आलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना:

प्रदेश के अधिकांश किसान आलू का उत्पादन व्यावसायिक रूप में न करके अपनी वर्ष भर की जरूरतों तथा अगले वर्ष बीज में प्रयोग करने के लिए करते हैं। इस प्रकार के आलू उत्पादन में किसानों द्वारा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, गुणवत्तायुक्त बीज, संतुलित उर्वरकों एवं पौध रक्ष रसायनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि इन छोटी जोतों में भी व्यावसायिक उत्पादन की भाँति उत्पादकता का स्तर प्राप्त किया जा सके।

4.2 प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों के उत्पादन को प्रोत्साहन:

प्रदेश में प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की राज्य सरकार की नीति के दृष्टिगत आलू की प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों की प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आलू की प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों के उत्पादन के लिए कृषकों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं के मध्य सहभागिता करायी जायेगी।

4.3 उर्वरकों/जैव उर्वरकों की व्यवस्था सुनिश्चित कराना:

प्रदेश के आलू उत्पादक क्षेत्रों में कृषि, सहकारिता एवं निजी क्षेत्र में बुआई से पूर्व उर्वरकों, विशेषकर फॉस्फेटिक एवं पोटैसिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी। जिन क्षेत्रों में औद्यानिक उत्पादन एवं विपणन सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं, उन्हें प्राथमिकता पर उर्वरक उपलब्ध

http://shasanadesh.up.nic.in

कराया जायेगा। आलू बाहुल्य जनपदों में आलू की खेती में प्रयोग हेतु सूक्ष्य तत्वों एवं जैव उर्वरकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करायी जायेगी। ताकि कृषकों द्वारा इसका उपयोग सुगमता पूर्वक किया जा सके।

उर्वरकों की भाँति आलू की खेती में उपयोग हेतु आवश्यक कृषि रक्षा रसायनों के साथ-साथ बॉयो पेस्टीसाइड व बॉयोएजेण्ट की उपलब्धता भी आलू उत्पादक क्षेत्रों में सुनिश्चित करायी जायेगी।

4.4 सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना:

प्रदेश के प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्रों में आलू की सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु विद्युत विभाग के द्वारा 15 सितम्बर से 15 जनवरी तक दिन में कम से कम 10 घण्टे उपलब्धता के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी तथा सिंचाई विभाग द्वारा नहरों का रोस्टर भी इस प्रकार तैयार कराया जायेगा कि दिसम्बर व जनवरी माह में आलू की सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध रहे।

4.5 खेती की आधुनिक तकनीकों को बढावा देना:

आलू की खेती में श्रम लागत को कम करने हेतु आटोमेशन को बढावा देने तथा प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल से गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु मशीनीकरण तथा सिंचाई की स्प्रिंकलर ड्रिप पद्धति को प्रोत्साहित किया जायेगा।

4.6 खुदाई उपरान्त प्रबन्धन:

प्रगतिशील आलू उत्पादकों को आलू की खुदाई के तत्काल बाद विक्रय हेतु तथा भण्डारण के उपरान्त विक्रय हेतु ग्रेडिंग की तकनीकों में प्रशिक्षित किया जायेगा, जिससे कृषकों को विक्रय के समय आलू की श्रेणी एवं गुणवत्ता के आधार पर अच्छे मूल्य प्राप्त हो सकें।

4.7 अनुदान एवं रियायतें:

4.7.1 आलू की खेती में पावर मशीन (20 बी.एच.पी. से अधिक) के साथ रोटावेटर, पोटेटो प्लान्टर, पोटेटो हार्वेस्टर एवं पोटेटो ग्रेडर आदि के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.50 लाख अनुदान सुलभ कराया जायेगा।

4.7.2 नेशलन मिशन ऑन माइक्रो इरीगेशन योजना के अन्तर्गत आलू की खेती में स्प्रिंकलर ड्रिप पद्धति की स्थापना के लिए अघु एवं सीमान्त कोटि के कृषकों को इकाई लागत का 90 प्रतिशत अधिकतम रू0 19711 प्रति हेक्टेयर तथा अन्य कोटि के कृषकों को इकाई लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 16426 प्रति हेक्टेयर अनुदान सुलभ कराया जायेगा।

http://shasandesh.up.nic.in

अध्याय-5

आलू का भण्डारण

वर्तमान में प्रदेश में 1555 शीतगृह संचालित है जिनमें 113.78 लाख मी0 टन की भण्डारण क्षकता उपलब्ध है। आलू उत्पादन का लगभग 70-75 प्रतिशत आलू शीतगृहों में भण्डारित किया जाता है, शेष 25-30 प्रतिशत आलू अगेती/मुख्य आलू की खुदाई के समय दिसम्बर से अप्रैल तक ताजे आलू के रूप में खाने में प्रयोग किया जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रदेश में 111.30 लाख भण्डारण क्षमता उपलब्ध थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में आलू की सम्भावित मांग तथा उत्पादन के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए लगभग 125 लाख मी0 टन भण्डारण क्षमता की आवश्यकता होगी।

इस नीति के माध्यम से आलू की उतपादकता तथा आलू के विभिन्न प्रकार के उपयोगों को दृष्टिगत रखते हुए शीतगृहों को सूचारू रूप से संचालित कराते हुए बीज आलू भोज्य आलू एवं प्रसंस्करण हेतु आलू के भण्डारण की समुचित व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता है।

5.1 बहुउद्देशीय एवं बहुकक्षीय शीतगृहों की स्थापना:

प्रदेश के शीतगृह उद्योग को प्रतिस्पर्धी एवं ब्यवहार्य बनाने के लिए नई तकनीक पर आधारित बहुउद्देशीय एवं बहुकक्षीय शीतगृहों के निर्माण पुराने स्थापित शीतगृहों के आधुनिकीकरण/तकनीकी उन्नयन एवं विस्तारीकरण को प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि बीज आलू, भोज्य आलू एवं प्रसंस्करण योग्य आलू के लिए एक ही शीतगृह में अलग-अलग चैम्बर में भण्डारित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

5.2 शीतगृहों में वेयरहाउसिंग रिसीट सिस्टम लागू कराया जाना:

प्रदेश में स्थापित निजी शीतगृहों के सुनियोजित संचालन हेतु उ0प्र0 शीतगृह (विनियमन) अधिनियम, 1976 एवं सुसंगत नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। वेयरहाउसिंग डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेटरी एक्ट, 2007 के अनुसार प्रदेश में स्थापित शीतगृहों को प्रत्यायन (एक्रीडिटेशन) हेतु प्रोत्साहित कराकर निगोशियेबुल वेयरहाउसिंग रिसीट सिस्टम लागू कराया जायेगा, ताकि कोल्ड स्टोरेज में भण्डारित आलू की रसीद पर किसानों को बैंकों से ऋण की उपलब्धता सुलभ हो सके।

5.3 शीतगृहों के विनियमन की व्यवस्था को व्यावहारिक बनाया जाना:

प्रदेश में शीतगृहों के विनियमन हेतु उत्तर प्रदेश शीतगृह (विनियमन) अधिनियम, 1976 तथा उत्तर प्रदेश शीतगृह (विनियमन) नियमावली, 1976 लागू है। उक्त अधिनियम एवं नियमावली को वर्तमान परिवेश में यथा आवश्यकता अधिक तर्कसंगत एवं व्यावहारिक बनाया जायेगा।

5.4 अनुदान एवं रियायतें:

नवीनतम तकनीक के बहुउद्देशीय एवं बहुकक्षीय शीतगृहों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय बागवानी

http://srisanadesh.up.nic.in

मिशन योजना के अन्तर्गत 40 प्रतिशत अधिकतम रू0 120 लाख अनुदान सुलभ कराया जायेगा। उक्त अनुदान की सुविधा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भारत सरकार द्वारा भी उपलब्ध करायी जा रही है।

http://shasanadesh.up.nic.in

अध्याय-6

बाजार विकास एवं विपणन/निर्यात प्रोत्साहन

वर्तमान में प्रदेश में उत्पादित आलू के विभिन्न उपभोग के उपरान्त लगभग 25 प्रतिशत आलू सरप्लस रहता है, जिससे कई बार बाजार में ग्लट की स्थिति उत्पन्न होने के कारण किसानों को समुचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। इस सरप्लस आलू को अन्य प्रदेशों तथा अन्य देशों में विपणन/निर्यात की आवश्यकता होती है। अन्य प्रदेशों यथा-दिल्ली, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू, महाराष्ट्र तथा पूर्वोत्तर राज्यों में आलू का उत्पादन कम है किन्तु उत्पादन के अनुरूप खपत अधिक है। इसी प्रकार देश के निकटवर्ती देशों तथा खाडी देशों में भी आलू की मांग उपलब्ध है। इस स्थानों तक आलू परिवहन की लागत अधिक होने के फलस्वरूप विपणनकर्ता/निर्यातक कम रूचि लेते हैं।

अतएव प्रदेश के सरप्लस आलू उत्पादन को, कम उत्पादन वाले अन्य राज्यों तथा अन्य देशों में प्रदेश के आलू के बाजार विकसित करने तथा इन स्थानों पर आलू के विपणन/निर्यात को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है। वर्तमान परिवेश में विश्व बाजार में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत आलू उत्पादकों को पेस्टीसाइट के सही उपयोग के बारे में जागरूक किया जाना भी आवश्यक है।

6.1 बाजार विकास:

6.1.1 आलू के प्रमुख आयातक देशों में आलू का बाजार विकसित करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय एक्सपो/मेलों में एपीडा एवं मण्डी परिषद के माध्यम से प्रदेश के आलू को ब्राण्ड नेम से प्रदर्शित कराया जायेगा।

6.1.2 आलू की मांग वाले अन्य प्रान्तों में आलू के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु हॉफेड के माध्यम से एक दिवसीय आलू प्रदर्शनी एवं बायर-सेलर मीट का आयोजन कराया जायेगा। इस प्रदर्शनी एवं बायर-सेलर मीट में प्रदेश के प्रगतिशील आलू उत्पादक किसानों को उनके उत्पादों के साथ प्रतिभाग कराते हुए स्थानीय क्रेताओं के मध्य मार्केटिंग टाई-अप कराया जायेगा।

6.1.3 आलू की प्रसंस्करण इकाईयों को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आलू की प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों के उत्पादक किसानों के साथ उद्यमियों का नियमित रूप से परस्पर सम्पर्क कराने की व्यवस्था, हॉफेड तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा करायी जायेगी।

6.2 आलू की ग्रेडिंग-पैकिंग हेतु ढांचागत सुविधाओं का विकास:

मण्डी परिषद द्वारा संचालित उ0प्र0 पोटैटो डेवलपमेन्ट फैसिलिटेशन सोसाइटी तथा हॉफेड की प्राथमिक औद्यानिक सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से आलू के समूहीकृत विपणन को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस हेतु आलू की ग्रेडिंग, पैकिंग आदि के लिए फंक्शनल इन्फ्रा क्चर सुविधाओं के सृजन को प्रोत्साहित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6.3 प्रदेश के भीतर विपणन:

कम आलू उत्पादक जनपदों में आलू की मांग के अनुरूप नियमित आवक तथा दैनिक बाजार भाव की जानकारी किसानों तक पहुंचान के लिए मण्डी परिषद के वर्तमान सूचना तंत्र को और अधिक सुदृढ किया जायेगा। मण्डियों के सूचनापट के अतिरिक्त शीतगृहों पर भी प्रदेश की विभिन्न मण्डियों में आलू के दैनिक बाजार भाव की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

6.4 प्रदेश के बाहर विपणन:

आलू के कम उत्पादन एवं अधिक मांग वाले राज्यों में आलू के अन्तर्राज्यीय व्यापार को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस हेतु आलू के अधिक उत्पादन वाले जनपदों की मण्डियों को आलू मण्डी के रूप में चिन्हित करते हुए आलू के सुचारू रूप से विपणन हेतु पोटैटो ग्रेडर लगाये जायेंगे तथा ग्रेडिंग पैकिंग शेड बनाये जायेगें। किसानों को मण्डियों में अल्प अवधि के लिए उत्पाद भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए मण्डी परिषद द्वारा आवश्यकतानुसार आलू की बडी मण्डियों में शीतगृहों का निर्माण कराया जायेगा।

6.5 देश के बाहर निर्यात:

प्रदेश से मुख्यतया नेपाल, श्रीलंका, बांगलादेश तथा रूस आदि देशों को आलू निर्यात किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त खाडी देशों में भी निर्यात की सम्भावनाएं विद्यमान हैं, अतएव आलू के निर्यात को प्रोत्साहित किया जायेगा। विश्व बाजार में खाद्य सुरक्ष के दृष्टिगत आलू उत्पादकों को पेस्टीसाइड के सही उपयोग के बारे में आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा। ताकि निर्यात हेतु पेस्टीसाइड के अवशिष्ट मानक के अनुरूप रहे। इस हेतु आलू उत्पादक किसानों को एपीडा एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हॉफेड) के माध्यम से निर्यातक देशों की मांग के अनुरूप जागरूक किया जायेगा तथा पेस्टीसाइड रेजीड्यू परीक्षण हेतु क्वालिटी कन्ट्रोल एनालिसिस लैब की स्थापना राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत करायी जायेगी।

आलू के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु निर्यातकों/आयातकों एवं प्रगतिशील आलू उतपादक किसानों के मध्य बायर-सेलर मीट का आयोजन कराया जायेगा। निर्यात प्रोत्साहन हेतु "ब्राण्ड प्रमोशन" तथा "निर्यात पर अनुदान" की व्यवस्था की जायेगी।

6.6 बाजार हस्तक्षेप योजना:

प्रदेश में गत वर्ष की तुलना में आलू के अधिक उत्पादन या बाजार भाव, लागत मूल्य से कम हो जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार भारत सरकार के सहयोग से बाजार हस्तक्षेप योजना लागू कराकर राजकीय/सहकारी संस्थाओं के माध्यम से बाजार हस्तक्षेप मूल्य की दर पर किसानों से आलू क्रय की व्यवस्था करायी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

6.7 अनुदान एवं रियायतें:

6.7.1 देश के अन्य प्रान्तों में आलू के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु अन्य प्रान्तों में एक दिवसीय आलू प्रदर्शनी एवं बायर-सेलर मीट के आयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा हॉफेड को प्रति कार्यक्रम रू0 3 लाख उपलब्ध कराया जायेगा।

6.7.2 आलू की ग्रेडिंग, पैकिंग हेतु फंक्शलन इन्फ्रा क्चर सुविधा के सृजन हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रू0 6 लाख अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

6.7.3 देश के बाहर ताज ब्राण्ड से आलू निर्यात किये जाने पर सभी निर्यातकों को परिवहन भाडा सहायता के रूप में रू0 200 प्रति कुन्टल अनुदान मण्डी परिषद के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

6.7.4 आलू के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु निर्यातकों को ताज ब्राण्ड से निर्यात की गयी मात्रा पर ब्राण्ड प्रोत्साहन हेतु रू0 50 प्रति कुन्टल की दर से मण्डी परिषद के माध्यम से अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

6.7.5 क्वालिटी कन्ट्रोल एनालिसिस लैब की स्थापना हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रू0 200 लाख तथा निजी क्षेत्र में 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 100 लाख अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

अध्याय-7

प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन

प्रदेश में किसानों द्वारा भोज्य आलू का उत्पादन बहुतायत में किया जाता है जबकि प्रसंस्करण इकाईयों को आलू की प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों जैसे- कुफरी चिप्सोना-1, 3, 4 कुफरी फ्राईसोना एवं कुफरी सूर्या आदि की आवश्यकता होती है। इस नीति के अन्तर्गत *आलू की प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों के उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने के फलस्वरूप उत्पादित आलू के प्रसंस्करण द्वारा मूल्य संवर्द्धन हेतु आलू उत्पादक बाहुल्य क्षेत्रों में प्रसंस्करण इकाईयों की आवश्यकता होगी।*

प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने से किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाये जाने, राजगार सृजन तथा प्रदेश में पूंजी निवेश हेतु प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाना अपेक्षित है।

7.1 प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित किये जाने हेतु प्रदेश में आलू के संहत उत्पादक क्षेत्रों में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 तथा उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के अन्तर्गत आलू आधारित प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं द्वारा छोटी इकाईयों की स्थापना को प्राथमिकता दी जायेगी।

7.2 ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के रूप में स्थानीय व्यक्तियों द्वारा छोटे स्तर पर आलू के विभिन्न उत्पाद तैयार करके स्थानीय स्तर पर उनकी बिक्री की जाती है। ऐसे कुटीर उद्योगों को चिन्हित कर, तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से उन्नयन कराकर, उत्पादों की गुतवत्ता सुनिश्चित करायी जायेगी तथा इन उद्यमों की उत्पादन क्षमता बढायी जायेगी।

7.3 प्रदेश में बडे पैमाने पर आलू उत्पादक क्षेत्रों में शीतगृह स्थापित है, जिनके पास भूमि विद्युत/जल, आवागमन आदि मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं पूर्व से ही उपलब्ध है। इन आधार भूत सुविधाओं का उपयोग करते हुए शीतगृह स्वमियों द्वारा आलू आधारित प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

7.4 प्रदेश में अथवा प्रदेश के बाहर स्थापित आलू आधारित प्रसंस्करण इकाईयों के साथ प्रदेश के आलू उत्पादकों का परस्पर सम्पर्क कराकर विपणन टाई-अप कराया जाएगा।

7.5 आलू से सम्बन्धित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना किए जाने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से नियमानुसार लाईसेन्स प्राप्त करने की व्यवस्था की जाएगी।

7.6 अनुदान एवं रियायतें:

7.6.1 राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अन्तर्गत आलू आधारित प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु प्लान्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 50 लाख अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

http://snasandesh.up.nic.in

7.6.2 आलू के प्रसंस्करण हेतु मिनीमल/मोबाइल प्रोसेसिंग यूनित की स्थापना के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रू0 9.60 लाख अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

7.6.3 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 तथा उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के अन्तर्गत अनुमन्य सभी अनुदान एवं रियायतें आलू आधारित प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अनुमन्य होंगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

अध्याय-8

तकनीकी हस्तान्तरण एवं दक्षता विकास

कृषकों द्वारा आलू के व्यावसायिक उत्पादन हेतु गुणवत्तायुक्त बीज, उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीकों, मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उर्वरकों एवं रसायनों का प्रयोग तथा उपयुक्त सिंचाई पद्धति के समुचित प्रयोग से उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार किया जाना प्रस्तावित है। आलू के उत्पादन के साथ ही आलू की खुदाई तथा विपणन हेतु ग्रेडिंग, पैकिंग की जानकारियां भी उपलब्ध कराना नितान्त आवश्यक है।

8.1 सेन्टर ऑफ एक्सिलेन्स फॉर पोटैटो की स्थापना:

आलू से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पहलुओं पर जानकारी उपलब्ध कराने तथा नवीन तकनीकों के प्रदर्शन के माध्यम से हस्तान्तरण के उद्देश्य से आलू उत्पादन बाहुल्य क्षेत्र में सेन्टर ऑफ एक्सिलेन्स फॉर पोटैटो की स्थापना करायी जायेगी।

8.2 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन:

प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्रों में आलू उत्पादक कृषकों को उत्पादन सम्बन्धी तकनीकी जानकारी सुलभ कराने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जायेंगे। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी एवं ग्राह्य बनाने के उद्देश्य से जनपद, विकास खण्ड एवं आवश्यकतानुसार संहत क्षेत्रों में ग्राम स्तर तक इनका आयोजन कराया जायेगा। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मुख्य रूप से निम्न विधाओं को समावेशित किया जायेगा:-

8.2.1 चयनित कृषकों को विशेषज्ञों द्वारा आलू बीज उत्पादन की तकनीकी तथा प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों द्वारा प्रमाणीकरण की विधाओं में प्रशिक्षण।

8.2.2 प्रदेश के आलू उत्पादक कृषकों को नवीनतम तकनीक में प्रशिक्षण करने हेतु केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालयों तथा औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से इन्टीग्रेटेड प्रशिक्षण।

8.2.3 प्रगतिशील आलू उत्पादकों को आलू की खुदाई के तत्काल बाद विक्रय हेतु तथा भण्डारण के उपरान्त विक्रय हेतु ग्रेडिंग की तकनीकों में प्रशिक्षित किया जायेगा, जिससे कृषकों को विक्रय के समय आलू की श्रेणी एवं गुणवत्ता के आधार पर अच्छे मूल्य प्राप्त हो सकें।

8.2.4 आलू पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण।

8.2.5 खाद्य सुरक्षा मानकों के दृष्टिगत पेस्टीसाइड के संतुलित उपयोग हेतु आलू उत्पादक किसानों को जागरूक किया जाना।

8.2.6 आलू प्रसंस्करण उद्योग को बढावा देने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आलू प्रसंस्करण से जुडे हुए विभिन्न तकनीकी पहलुओं का समावेश।

http://shasanadesh.up.nic.in

तकनीकी हस्तान्तरण एवं दक्षता विकास के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से कराये जायेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

अध्याय-9

नीति का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

12.1 राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति:

नीति के अन्तर्गत प्राविधानों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित की जाएगी। सम्बन्धित विभागों के सचिव/प्रमुख सचिव इसके सदस्य होंगे। उ0प्र0 शीतगृह संघ तथा आलू उत्पादक संघ/समिति के प्रतिनिधि आमंत्रित सदस्य होंगे। समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार आहूत की जाएगी।

12.2 मण्डल स्तरीय अनुश्रवण समिति:

मण्डल स्तर पर प्रस्तावित नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें मण्डल के सभी जनपदों के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित विभागों के मण्डल स्तरीय अधिकारीगण समिति के सदस्य होंगे। इस अनुश्रवण समिति में तीन आलू उत्पादक/प्रसंस्करणकर्ता मण्डलायुक्त द्वारा समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जायेंगे। मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान समिति के सदस्य सचिव होंगे।

12.3 जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति:

नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण सदस्य होंगे। इस अनुश्रवण समिति में तीन आलू उत्पादक/भण्डारणकर्ता/प्रसंस्करणकर्ता, जिलाधिकारी द्वारा समिति के सदस्य के रूप में नामित किये जायेंगे। जनपदीय उद्यान अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे।

12.4 नोडल विभाग:

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग होगा। नीति के अन्तर्गत उपलब्ध रियायतों, सुविधाओं, अनुदानों तथा उत्पादनों को उपलब्ध कराने के लिए नोडल विभाग द्वारा सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कराकर कार्यवाही की जाएगी।

12.5 प्रकीर्ण:

12.5.1 इस नीति के किसी प्राविधान की व्याख्या, उसके बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति सक्षम होगी।

12.5.2 सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यक शासनादेश एवं नियमावली निर्गत करते हुए समयबद्ध रूप से नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

13. सामान्य:

इस नीति में सम्मिलित किये गये विभिन्न प्राविधान केन्द्रपोषित चालू योजनाओं से आच्छादित हैं, अतएव इस नीति के अन्तर्गत किये गये ऐसे प्राविधान इन योजनाओं के स्वरूप एवं अनुदान पैटर्न में भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले परिवर्तनों/संशोधनों के अधीन होंगे।

---

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in